न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
40/दावा/2019	13.03.2019	04.07.2019

देवलाल आ0 गोपी जाति मीणा निवासी ग्राम देहित तहसील व जिला बून्दी (राज0) (मृतक) कायम मुकामान
1/1 गंगाबिशन आ0 देवलाल जाति मीणा निवासी देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0
1/2 नेमीचंद आ0 देवलाल जाति मीणा निवासी देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0
1/3 गुलाब बाई पुत्री देवलाल पत्नी मोहनलाल जाति मीणा निवासी मेहराणा तहसील तालेडा जिला बून्दी
1/4 रामसुखी पुत्री देवलाल पत्नी राममोहन जाति मीणा निवासी लाखेरी तह0 के0पाटन जिला बून्दी
1/5 नाथी बैवा देवलाल जाति मीणा निवासी देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0 ......वादी

बनाम

1. प्रभू लाल आ0 श्री चतुर्भुज जाति महाजन माहेश्वरी निवासी देहित तहसील जिला बून्दी (राज0)
2. रामकल्याण आ0 गोविन्द लाल जाति महाजन निवासी देहित तहसील व जिला बून्दी (राज0)
3. रमेश गोद पुत्र मदन गोपाल जाति महाजन माहेश्वरी निवासी देहित तहसील व जिला बून्दी (राज0)
4. लाड बाई पुत्री मदनगोपाल पत्नी बाल कृष्ण जाति महाजन निवासी देहित तहसील व जिला बून्दी (राज0)
5. कौशल्या बाई पुत्र मदन गोपाल पत्नी गोपाल लाल जाति महाजन माहेश्वरी निवासी सराय का स्थान पाटन पोल कोटा (राज0)
6. शान्ती बाई पुत्री मदन गोपाल पत्नी रामेश्वर जाति महाजन माहेश्वरी निवासी सुवॉसा तहसील व जिला बून्दी (राज0)
7. छोटा बाई पुत्र मदन गोपाल पत्नी कैलाश सोमानी जाति महाजन निवासी गुढानाथावतन तहसील बून्दी
8. मोहन लाल आ0 बद्री लाल जाति महाजन माहेश्वरी निवासी ग्राम देहित तहसील व जिला बून्दी (राज0)
9. सुरेश आ0 बद्री लाल जाति महाजन निवासी ग्राम देहित तह0 व जिला बून्दी (राज0)
10. सोभाग बाई पुत्री बद्री लाल पत्नी जीतमल जाति महाजन माहेश्वरी निवासी झालरापाटन जिला झालावाड (राज0)
11. श्रीमति कमला बाई पुत्री बद्री लाल पत्नी रमेशचंद जाति महाजन निवासी के0पाटन जिला बून्दी (राज0)
12. विमला बाई पुत्री बद्री लाल बालिग पत्नी श्री किशनबिहारी जाति महाजन माहेश्वरी निवासी जवाहर नगर कोटा (राज0)
13. राजस्थान सरकार जरे तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0) ...प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः– श्री रामदत्त शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादीः–

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा– 88,89 एवं 188 आर.टी.एक्ट

संक्षेप में वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किया है किः–

1. यह कि कृषि भूमि ख0सं0 1278 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा जिसके नवीन ख0नम्बर केचमेन्ट नम्बर 2200 है, और अन्य ख0 नम्बर का रकबा 1191 का इसमें मिल जाने से उक्त 2200 का रकबा वर्तमान में 4 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम देहित तहसील व जिला बून्दी (राज0) में विस्थित है।
2. यह कि उपरोक्त आराजी के खातेदार वादी एवं वादी का भाई किशोर आ0 गोपी लाल जाति मीणा निवासी देहित है, जो उक्त भूमि में बराबर के हिस्सेदार वादी के भाई किशोर ने उक्त भूमि में अपना

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

1/2 हिस्सा दिनांक 3.8.2004 को रिलीजडीड द्वारा रिलीज कर दिया है, इसलिये अब उक्त भूमि में तन्हा खातेदार व काबिजदार एक मात्र वादी ही है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि बाबत बद्री लाल, सूरजमल, रामकल्याण पिसरान श्री गोविन्द लाल एवं प्रभू लाल आ0 चतुर्भुज जातियान महाजन माहेश्वरी निवासीगण देहित तहसील व जिला बून्दी (राज0) के उक्त राजस्व रेकार्ड में मु0बि0क0 इन्द्राज हो रहा है, जो अवैधानिक एवं गैर कानूनी है।
4. यह कि उपरोक्त भूमि बाबत बद्री लाल, सुरजमल, रामकल्याण पिसरान गोविन्द लाल जाति महाजन निवासीगण देहित एवं मदन गोपाल आ0 रामनारायण महाजन देहित, प्रभु लाल आ0 चतुर्भुज महाजन निवासी देहित ने एक दावा सं0 211/68 न्यायालय सहायक कलेक्टर बून्दी के न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसमें उक्त भूमि सन् 1957 में वादी के पूर्वजो के पास 25/– रूपये में रहन बताकर रहन की अवधि समाप्त हो जाने से व खातेदार बन जाने से उक्त दावा खातेदारी अधिकार घोषणा बाबत प्रस्तुत किया गया था।
5. यह कि पूर्व में उक्त वाद के पक्षकारो में प्रभु लाल प्रतिवादी मौजूद है, रामकल्याण मोजूद है, सूरजमल अविवाहित है, जो फौत हो चुका है। बद्री लाल भी फौत हो चुका है, और प्रतिवादीगण सं0 3 लगा0 7 बद्री लाल के वारिसान एवं कायम मुकामान है, जिन्हे पूर्व वाद में मोजूदा पक्षकारों एवं मृतक बद्री लाल के वारिसान को वाद में पक्षकार बनाया गया है। इसी प्रकार मदन गोपाल जी का देहान्त हो गया है, उनके कायम मुकामान प्रतिवादी सं0 3 लगा0 7 पक्षकार बनाये गये है।
6. यह कि उक्त दावा में वादी व उसके भाई किशोर के विरूद्ध फैसला होकर दिनांक 17.6.1969 को उक्त दावा न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर बून्दी द्वारा डिक्री कर दिया था जिसकी अपील वादी ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय में प्रस्तुत की थी जिसमें 18.2.71 को फैसला होकर सहायक कलेक्टर का निर्णय दिनांक 17.6.1969 को निरस्त कर दिया गया और उक्त निर्णय में राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा रहन की तनकी प्रतिवादीगण की साबित नहीं मान कर उक्त निर्णय पारित किया और अधीनस्त न्यायालय का निर्णय निरस्त कर वादी का वाद खारिज कर दिया गया।
7. यह कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 18.2.1971 में यह भी माना गया है कि उक्त भूमि अगर प्रतिवादी के पास रहन भी थी तो दावा दायरी दिनांक अंकित 13.11.1968 से 10–12 वर्ष पूर्व उक्त भूमि पर वादी व उसके भाई किशोर का कब्जा हो गया और उक्त भूमि रहन से मुक्त हो गयी जिसका कयास वादी व उसके भाई किशोर के पक्ष में लिया गया।
8. यह कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 18.2.1971 में उक्त भूमि पर अधीनस्त न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दावे में दिनांक 13.11.1968 से 10–12 वर्षो से उक्त भूमि पर वादी व उसके भाई किशोर का कब्जा काश्त माना गया है।
9. यह कि वादी के भाई किशोर द्वारा दिनांक 3.8.1984 को वादी के पक्ष में 1/2 हिस्से की की गई रिलीज डीड द्वारा वादी को रिलीज किये जाने से वादी के भाई किशोर का उक्त भूमि पर कोई अधिकार नहीं रहा है, इसलिये वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। किशोर के समस्त खातेदारी अधिकार वादी के पक्ष में प्राप्त हो चुके है।
10. यह कि दिनांक 13.11.1968 से 10–12 वर्ष पूर्व से करीब 45 वर्ष वादी उक्त भूमि पर शांति पूर्वक बेरोक–टोक बिना किसी बाधा के प्रतिवादीगण की जानकारी में अपने पूर्वजो के समय से काबिज काश्त चला आ रहा है, और कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी वादी खातेदार कृषक हो चुका है, वर्तमान में यह भूमि वादी व उसके भाई किशोर के खाते में अंकित हो रही है, जैसा कि उपरोक्त चरण में अंकित किया है कि किशोर ने अपना हिस्सा रिलीज करने के कारण उक्त भूमि का एक मात्र खातेदार स्वामी बहैसियत खातेदार वादी काबिज काश्त है।
11. यह कि उक्त भूमि में राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी प्रभूलाल, रामकल्याण तथा बद्री लाल व शिवराम का नाम मु0बि0क0 दर्ज होने से वादी के कानूनी अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है।
12. यह कि वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त भूमि संबंध में प्रभूलाल आ0 चतुर्भुज हिस्सा 1/2 बद्री लाल शिवराम रामकल्याण पिसरान गोविन्द लाल हिस्सा 1/2 मु0बि0क0 के नाम खाते में से विलोपित करवाये और वादग्रस्त भूमि ख0सं0 1278 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा केचमेन्ट ख0सं0 2200

उप खण्ड अधिकारी
तालेड़ा

रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम देहित तहसील जिला बून्दी को वादी स्वयं के खातेदारी में वादी को स्वयं को एकमात्र खातेदार घोषित करवा कर राजस्व रेकार्ड में केवल वादी का नाम रेकार्ड आफ राईटस जमाबन्दी में केवल वादी का नाम खातेदार के स्थान पर अपना नाम अंकित करवाये। इस संबंध में वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार रहन का इन्द्राज हटाये जाने पर अनुरोध किया लेकिन वह इन्कार हो गये। वादी को यह भी अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं करने व वादी को इसमें काश्त करने से नहीं रोकने प्रतिवादी के विरूद्ध वादी को स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करे।

13. यह कि वाद कारण दिनांक 20.07.2004 को वादी द्वारा उक्त भूमि के संबंध मे प्रतिवादीगण से रहन का इन्द्राज हटाये जाने और उनके द्वारा इन्कार करने तथा जमीन को खुर्द–बुर्द नहीं करने व काश्त में किसी प्रकार की बाधा नहीं करने की बात करने पर न्यायालय के न्याय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ।

14. यह कि उक्त विवादित भूमि में प्रतिवादीगण का नाम गैर कानूनी रूप से दर्ज अब तक रहने से उक्त भूमि का खुर्द–बुर्द करने व वादी को काश्त करने से रोकने पर आमदा है, यदि धारा 80 जा0दी0 का 2 माह का नोटिस दिया गया तो प्रतिवादीगण उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द कर देगे हस्तान्तरण कर देगे वादी के कब्जे काश्त में उपरोक्त रूप से गैर कानूनी रूप से प्रतिवादीगण द्वारा अवरोध उत्पन्न कर देने से वादी को अपूरणीय क्षति होगी ऐसी स्थिति में वाद आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80 जा0 दी0 के अभाव में प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिये वाद प्रस्तुत करने की स्वीकृति हेतु धारा 80(2) जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है।

(अ) प्रार्थना है कि कृषि भूमि ख0सं0 1278 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा जिसके नवीन ख0सं0 केचमेन्ट 2200 और अन्य ख0 नम्बर रकबा 1191 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम देहित तहसील जिला बून्दी (राज0) के संबंध में प्रभु लाल आ0 चतुर्भुज हिस्सा 1/2 बद्री लाल, शिवराम, रामकल्याण पिसरान गोविन्द लाल का हिस्सा 1/2 पर से नाम मु0बि0क0 खाते से विलोपित किया जावे तथा उक्त भूमि का वादी को एकमात्र खातेदार कृषक घोषित किया जावे और उक्त हिस्से का आराजी वादी के हिस्से में रखी जावे।

(ब) प्रतिवादी सं0 7 को आदेशित किया जावे कि उक्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर देवे और वादी को एक मात्र खातेदार अंकित किया जावे।

(स) प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह विवादित कृषि भूमि जो वादी पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित है कि किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करे, बेचान नहीं करे किसी के रहन नहीं रखे और वादी के काश्त में किसी प्रकार की रूकावट नहीं डाले।

(द) वाद व्यय व अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रदान की जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 12 बाउजूद सूचना हाजिर नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं0 13 की और से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित तथ्य में केचमेन्ट नं0 2200 दर्शाये गये है और अन्य ख0नम्बर 1191 के मिल जाने से 2200 का क्षेत्रफल 4 बीघा 12 बिस्वा ग्राम देहित बताया गया है। उक्त प्रकरण में केचमेन्ट का फर्द इख्तलाफ दावे के साथ संलग्न नहीं होने से तथा सी0ए0डी कोटा को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः उक्त चरण का स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया जा सका। वाद पत्र की चरण सं0 2 में वर्णित तथ्य राजस्व रिकार्ड के अनुसार सहीं है जो स्वीकार है। वाद पत्र की चरण सं0 3 में वर्णित तथ्य राजस्व रिकार्ड के अनुसार स्वीकार नहीं है क्योंकि राजस्व रिकार्ड में बद्री लाल, शिवराम, रामकल्या पि0 गोविन्द लाल कौम महाजन हिस्सा 1/2 देह0 मु0बि0क0 दर्ज है। अतः शिवराम उक्त वाद में पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण नॉन जोइन्डर डिफेक्टीव होने से वाद पत्र चलने योग्य नहीं है। वाद पत्र की चरण सं0 4 में

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

वर्णित दावा 211/68 की प्रतिलिपि संलग्न नही होने से समुचित उत्तर नही दिया जा सकता। च0सं0 4 में वर्णित तथ्य उभय पक्षकार से सम्बन्धित है तथा प्रमाणित करने का भार भी उन्हीं पर निहित है। च0सं0 5 में वर्णित तथ्य राजस्व रिकार्ड से एवं न्यायालय के आदेश से सम्बन्धित है जो स्वीकार है। च0सं0 6 अस्वीकार है। च0सं0 7 में वर्णित तथ्य स्वीकार नही है। च0सं0 8 का जवाब च0सं0 2 में दिया जा चुका है जो कानूनी है। च0सं0 9 जिस प्रकार लिखी है अस्वीकार है। च0सं0 10 राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित है जो स्वीकार है परन्तु वाद पत्र में भी शिवराम का नाम प्रतिवादी नही दर्शाया गया है। अतः अस्वीकार है। च0सं0 11 में वर्णित तथ्य राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित है जिनको प्रमाणित करने का भार वादी पर निहित है एवं वादी के द्वारा प्रतिवादी से रहन का इन्द्राज हटाये जाने सम्बन्धित अनुरोध किया जाना जानकारी के अभाव में स्वीकार नही है। च0सं0 12 कानूनी है। च0सं0 13 में नोटिस दिया जाना आवश्यक था क्योंकि प्रतिवादीगण सं0 13 को बनाने के पूर्व मेडेटरी प्रोविजन है तथा उसके अभाव में दावा चलने योग्य नही है। धारा 80 (2) सी0पी0सी0 की दर0 वाद पत्र के साथ संलग्न है। च0सं0 14 कानूनी है। च0सं0 15 कानूनी है जो स्वीकार है। प्रार्थना वादी अस्वीकार है।

साक्ष्य में वादी की ओर से नकल जमाबन्दी खाता सं0 160 ग्राम देहित संवत् 2056–59, न्यायालय सहायक कलेक्टर बून्दी निर्णय दिनांक 17.06.1969, राजस्व अपील अधिकारी कोटा देव लाल बनाम ब्रदी लाल वगेरा निर्णय दिनांक 18.2.1971, नकल केचमेन्ट खसरा मिलान वर्ष 1979–80 ग्राम देहित, देव लाल आ0 गोपी जाति मीणा निवासी देहित का साक्ष्य शपथ–पत्र की प्रतियॉ पेश की।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी के वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार जमाबन्दी में दर्ज मु0बि0क0 के नोट को दुरूस्त करने की प्रार्थना वादी के द्वारा चाही गई है उसे वादी प्राप्त करने का अधिकारी है क्योकि 1975 के अध्यादेश के द्वारा दिनांक 19.10.1955 (अधिनियम के लागू होने की दिनांक) के बाद किये गये सभी भोग बंधक दिनांक 06.09.1975 से उन्मोचित हो गये है ऐसी स्थिति में वादी भी उक्त मु0बि0क0 के नोट को हटवाने का अधिकारी है। अतः वादी वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि ख0सं0 1278 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा जिसके नवीन ख0नम्बर केचमेन्ट नम्बर 2200 है, और अन्य ख0 नम्बर का रकबा 1191 का इसमें मिल जाने से उक्त 2200 का रकबा वर्तमान में 4 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम देहित तहसील तालेडा व जिला बून्दी में दर्ज बद्री लाल, शिवराम, रामकल्याण पिसरान श्री गोविन्द लाल एवं प्रभू लाल आ0 चतुर्भुज जातियान महाजन सा0देह के उक्त राजस्व रेकार्ड में मु0बि0क0 के नोट को विलोपित किया जाकर इन्द्राज दुरुस्त किया जावें। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। बैंक रहन यथावत रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 04.07.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

उपखण्ड अधिकारी तालेडा

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।
इजलास **मोहम्मद ताहीर , आर0ए0एस0**

देवलाल आ0 गोपी जाति मीणा निवासी ग्राम देहित तहसील व जिला बून्दी (राज0)
1/1 गंगाबिशन आ0 देवलाल जाति मीणा निवासी देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0
1/2 नेमीचंद आ0 देवलाल जाति मीणा निवासी देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0
1/3 गुलाब बाई पुत्री देवलाल पत्नी मोहनलाल जाति मीणा निवासी मेहराणा तहसील तालेडा जिला बून्दी
1/4 रामसुखी पुत्री देवलाल पत्नी राममोहन जाति मीणा निवासी लाखेरी तह0 के0पाटन जिला बून्दी
1/5 नाथी बैवा देवलाल जाति मीणा निवासी देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0

......**वादी**

बनाम

1. प्रभू लाल आ0 श्री चतुर्भुज जाति महाजन माहेश्वरी निवासी देहित तहसील जिला बून्दी (राज0)
2. रामकल्याण आ0 गोविन्द लाल जाति महाजन निवासी देहित तहसील व जिला बून्दी (राज0)
3. रमेश गोद पुत्र मदन गोपाल जाति महाजन माहेश्वरी निवासी देहित तहसील व जिला बून्दी (राज0)
4. लाड बाई पुत्री मदनगोपाल पत्नी बाल कृष्ण जाति महाजन निवासी देहित तहसील व जिला बून्दी (राज0)
5. कौशल्या बाई पुत्र मदन गोपाल पत्नी गोपाल लाल जाति महाजन माहेश्वरी निवासी सराय का स्थान पाटन पोल कोटा (राज0)
6. शान्ती बाई पुत्री मदन गोपाल पत्नी रामेश्वर जाति महाजन माहेश्वरी निवासी सुवॉसा तहसील व जिला बून्दी (राज0)
7. छोटा बाई पुत्र मदन गोपाल पत्नी कैलाश सोमानी जाति महाजन निवासी गुढानाथावतन तहसील बून्दी
8. मोहन लाल आ0 बद्री लाल जाति महाजन माहेश्वरी निवासी ग्राम देहित तहसील व जिला बून्दी (राज0)
9. सुरेश आ0 बद्री लाल जाति महाजन निवासी ग्राम देहित तह0 व जिला बून्दी (राज0)
10. सोभाग बाई पुत्री बद्री लाल पत्नी जीतमल जाति महाजन माहेश्वरी निवासी झालरापाटन जिला झालावाड (राज0)
11. श्रीमति कमला बाई पुत्री बद्री लाल पत्नी रमेशचंद जाति महाजन निवासी के0पाटन जिला बून्दी (राज0)
12. विमला बाई पुत्री बद्री लाल बालिग पत्नी श्री किशनबिहारी जाति महाजन माहेश्वरी निवासी जवाहर नगर कोटा (राज0)
13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)

...**प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा– 88,89 एवं 188 आर.टी.एक्ट
40/दावा/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री रामदत्त शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुदई ... मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री जारी कि जाती है कि वादी वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि ख0सं0 1278 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा जिसके नवीन ख0नम्बर केचमेन्ट नम्बर 2200 है, और अन्य ख0 नम्बर का रकबा 1191 का इसमें मिल जाने से उक्त 2200 का रकबा वर्तमान में 4 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम देहित तहसील तालेडा व जिला बून्दी में दर्ज बद्री लाल, शिवराम, रामकल्याण पिसरान

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

श्री गोविन्द लाल एवं प्रभू लाल आ0 चतुर्भुज जातियान महाजन सा0देह के उक्त राजस्व रेकार्ड में मु0बि0क0 के नोट को विलोपित किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावें। बैंक रहन यथावत रहेगा।

नीज............................ मुबलिक................................ बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह........................ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालात		
स्टाम्प वकालात			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिंक		
मीजान					

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 04 माह 07 वर्ष 2019 को जारी की गई।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी तालेडा

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी